

राजरथान आवासन मण्डल : जयपुर.

क्रमांक :- १७

दिनांक :- २८.११.२०

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में, राजरथान आवासन मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक मुसप्र/2020/383 दिनांक 30/07/2020 के तहत "सम्पत्ति निस्तारण विनियम-1970" में किये गये कतिपय संशोधनों के अन्तर्गत 'आवण्टन की पात्रता' शीर्षक के बिन्दु संख्या 7 में "आवेदक द्वारा जिस शहर में आवास आवण्टन हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस शहर में आवेदक स्वयं, उसका/उसकी पति/पत्नी, उनके अविवाहित वच्चों सहित उन पर आश्रित निकट सम्बन्धी के पास फ़ी-हॉल्ड अथवा लीज-हॉल्ड पर आवासीय भूखण्ड या आवास नहीं होने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की गई।"

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS & IFS) के अधिकारियों हेतु दिनांक 02 अक्टूबर' 2020 से प्रारम्भ की गई "AIS रेजिडेन्सी" योजना के आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 14(3) एवं 14(3) में विहित प्रावधानों के पूर्ववर्ती शिथिलता के विपरीत होने के मध्येनजर, इन दोनों प्रावधानों को विलोपित किया जाता है। इन दोनों प्रावधानों के विलोपित होने के परिणामस्वरूप, आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 8(2-h) में वांछित 'स्वयं अथवा पति-पत्नी अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने सम्बन्धी शपथ-पत्र' की प्रस्तुति भी आवश्यक नहीं होगी।

उक्त आदेश वर्तमान में चल रही अन्य सभी पंजीकरण योजनाओं में भी समान रूप से लागू होगा तथा आगामी पंजीकरण योजनाओं की बुकलेट एवं आवेदन पत्र इन शिथिलताओं के अनुरूप ही बनाये जावें।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त.

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा०आ०म०, जयपुर।
3. सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०म०, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा०आ०म०, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक-सिस्टम एनालिस्ट, रा०आ०म०, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत् —————— (समस्त).
8. आवासीय अभियन्ता, रा०आ०म०, खण्ड —————— (समस्त स्वतन्त्र खण्ड).
9. रक्षित पत्रावली।


आवासन आयुक्त.